# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3306/2023**

प्रवीण कुमार **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 15.12.2023

**आदेश की दिनांक** : 08.01.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को परिवहन निरीक्षक के पद पर कार्यालय उप परिवहन कार्यालय, बहरोड़ में निरंतर कार्य करने के आदेश प्रदान करते हुए समस्त वेतन लाभ आदि प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में परिवहन निरीक्षक के पद पर उप परिवहन कार्यालय, बहरोड में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के द्वारा प्रदत्त

शक्तियों द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रधान कार्यालय जयपुर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा नियमित पदस्थापित बहरोड किया गया। उनका कथन है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.01.2023 के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 05.12.2023 जारी किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3260/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 11.12.2023 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि अपील अधिकरण में लंबित होने के बावजूद दिनांक 11.12.2023 को ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित कर दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष बहस के दौरान यह भी तर्क दिया है कि विभाग द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 15.12.2023 एवं 28.12.2023 जो सीसीए नियम 17 के अंतर्गत जारी की गई है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7132/2011 किशनाराम विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.05.2013 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा गुलाम हुसैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1127/1993 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.1993 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया है कि नियम 17 सीसीए के अंतर्गत जांच विचारण की दशा में निलंबन आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुचित माना गया है क्योंकि नियम 17 सीसीए की जांच में लघु दण्ड़ ही संभव है। इस प्रकार अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 के द्वारा निलंबित किया जाना विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को परिवहन निरीक्षक के पद पर कार्यालय उप परिवहन कार्यालय, बहरोड़ में निरंतर कार्य करने के आदेश प्रदान करते हुए समस्त वेतन लाभ आदि प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है, जो दिनांक 28.12.2023 को जारी किया गया है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 के द्वारा निलंबित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी स्वेच्छा से

अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए और उसके उपरांत ही अपीलार्थी के विरूद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में परिवहन निरीक्षक के पद पर उप परिवहन कार्यालय, बहरोड में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रधान कार्यालय जयपुर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा नियमित पदस्थापित बहरोड किया गया एवं अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.12.2023 से स्थानान्तरण किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3260/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 11.12.2023 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया तथा उक्त अपील वर्तमान में अधिकरण में लंबित होना बताया गया है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी को 17 सीसीए नियम के अंतर्गत आरोप पत्र दिया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा किशनाराम विश्नोई वाले मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है :—

> *"Having considered this factual position and especially looking to the fact that the petitioner is subjected to disciplinary proceedings only under Rule 17 of the Rules of 1958, prima facie I am of the view that is such matters, suspension is not warranted.*
>
> *Be that as it may, no effect has been given to the order of suspension in view of the interim order passed by this court on 26.08.2011. The reasons and the administrative exigency, if any, existing while placing the petitioner under suspension must not be existing now, specially looking to the fact that no effect is given to the suspension so far. As such, I don't find any just reason to continue the order of suspension. Accordingly, this petition for writ is allowed. The order dated 28.07.2011 passed by the District Education Officer (Secondary), Jalore is quashed. Expeditious disposal of the enquiry pending against the petitioner under Rule 17 of the Rules of 1958 is desirable."*

एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा गुलाम हुसैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निम्नलिखित कथन किया गया है :—

> *"Rajasthan Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958, Rr. 13, 14, 16, 17 - Scope - Petitioner proceeded against under Rule 17 instead of under Rule 16 - Misconduct alleged against Petitioner not so grave as to attract major penalty covered by Rule 14 - Suspension of Petitioner brought about in abuse of powers under Rule 13 and contrary to instructions contained in various circulars - Suspension of Petitioner mala-fide and not equally justified - Order of Petitioner's suspension quashed."*

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयों में 17 सीसीए नियम के अंतर्गत कार्मिक को निलंबन किया जाना उचित नहीं माना है। 17 सीसीए नियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही में लघु दण्ड़ का प्रावधान है। निलंबन की कार्यवाही उस दशा में की जाती है जब कर्मचारी के विरूद्ध सीसीए 16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही लंबित/प्रस्तावित है, जिसमें की वृहद् दण्ड़ (major punishment) का प्रावधान है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 के द्वारा निलंबित किया गया है। 17 सीसीए की कार्यवाही के अंतर्गत निलंबन कार्यवाही किया जाना विधि एवं नियमों के अनुसार उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 11.12.2023 उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं नियमों को दृष्टिगत रखते हुए अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व पदस्थापित था।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**